



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 91/2020
GST Circular No. 49/2020

27th November, 2020

2016/AC-II/01/06/CRIS

General Managers
All Zonal Railways/Production Units

Sub:-Due Dates for filing of various returns under GST Law---Amendments

1. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), vide various notifications dated 10th November 2020, have notified the due dates for filing of various GST returns for the forthcoming tax periods along with other compliances. Form wise due dates are as under:-

A. FORM GSTR-1

Periodicity of filing	Due Date	Notification No.
Monthly	11 th of following month	Notification No. 83/2020-Central Tax (dated 10 th November 2020) & Notification No. 75/2020-Central Tax (dated 15 th October 2020)

B. FORM GSTR-3B

Periodicity of filing	Due Date	Notification No.
Monthly	20 th of following month	Notification No. 82/2020-Central Tax

It may be noted that per se there are no changes in the dates of filing of returns and afore mentioned due dates have been notified for the sake of clarity.

2. FORM GSTR-2A

With effect from **01st January 2021**, FORM GSTR-2A shall provide the following additional details:

- Details of Tax Collected at Source (TCS)

- Details of Tax Deducted at Source (TDS)
- IGST paid on import of goods or goods brought in Domestic Tariff Area from Special Economic Zone unit/Developer

It may be noted that pursuant to such amendments in FORM GSTR-2A, any GST deducted (TDS) by Indian Railways while effectuating payments to suppliers shall now be reflected in separate table in FORM GSTR-2A of the suppliers.

3. **FORM GSTR-2B**

With effect from **01st January 2021**, FORM GSTR-2B shall also be made available to registered persons. FORM GSTR-2B is an auto-drafted statement containing details of Input Tax Credit (ITC) that shall be generated every month. It is a static statement and will be made available once a month. It shall reflect the details of outward supplies furnished by monthly suppliers (i.e. details of inward supplies of Indian Railways) between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the previous month to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the month i.e. between 12th of the month to 11th of the following month. It may be noted that such a form shall be in addition to FORM GSTR-2A.

4. Further, CBIC by Notification No. 78/2020-Central Tax dated 15th October 2020 has stipulated that with effect from **01st April 2021**, all tax invoices shall mandatorily specify six (6) digits HSN/SAC. It may be recalled that currently capturing of four (4) digits HSN/SAC is mandatory in invoice. CRIS shall incorporate necessary changes in earnings application groups to ensure compliance to the same with effect from 01st April 2021. Railway Board shall circulate a list of 6 digit HSN Code in due course in this regard.

It is requested that every concerned stakeholder including Principal Railways must immediately undertake the exercise of familiarizing themselves with aforementioned due dates and other forms so that compliances could be adhered to.



(V.Prakash)

**Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

1. PEAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board;
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi;
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi;
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 91/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 49/2020

2016/एसी-II/01/06/क्रिस

27 नवम्बर, 2020

महाप्रबंधक

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- जीएसटी कानून के अंतर्गत विभिन्न रिटर्न को भरने के लिए नियत तारीखों में संशोधन

- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 10 नवम्बर, 2020 की भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के तहत आगामी कर अवधियों के लिए विभिन्न जीएसटी रिटर्न को भरने के साथ-साथ अन्य फार्मों को भरने के लिए नियत तारीख अधिसूचित की है। फॉर्मवार नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क फॉर्म जीएसटीआर-1

भरने की आवश्यकता	नियत तारीख	अधिसूचना सं.
मासिक	आगामी माह की 11 तारीख को	अधिसूचना सं. 83/2020-केन्द्रीय कर (दिनांक 10 नवम्बर 2020) एवं अधिसूचना सं. 75/2020- केन्द्रीय कर (दिनांक 15 अक्टूबर 2020)

ख फॉर्म जीएसटीआर-3बी

भरने की आवश्यकता	नियत तारीख	अधिसूचना सं.
मासिक	आगामी माह की 20 तारीख को	अधिसूचना सं. 82/2020-केन्द्रीय कर

यह ध्यान दिया जाए कि वास्तव में रिटर्न भरने की तारीखों में कोई परिवर्तन नहीं है और ऊपर उल्लिखित नियत तारीखें स्पष्टता लाने के लिए अधिसूचित की गई हैं।

2. फॉर्म जीएसटीआर-2ए

01 जनवरी, 2021 से फॉर्म जीएसटीआर-2ए में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण देना होगा:

- स्रोत पर एकत्रित कर का विवरण (टीसीएस)
- स्रोत पर कटौती किए गए कर का विवरण (टीडीएस)

- माल के आयात पर या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई/डेवलपर से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में लाए गए माल पर भुगतान किया गया आईजीएसटी

यह ध्यान दिया जाए कि फॉर्म जीएसटीआर-2ए में ऐसे संशोधनों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय भारतीय रेल द्वारा काटे गए जीएसटी (टीडीएस) को अब आपूर्तिकर्ताओं के फॉर्म जीएसटीआर-2ए में अलग तालिका में प्रदर्शित किया जाएगा।

3. फॉर्म जीएसटीआर-2बी

01 जनवरी, 2020 से, फॉर्म जीएसटीआर-2बी पंजीकृत व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म जीएसटीआर-2बी एक स्वतः-प्रारूपित विवरण है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का विवरण, जो प्रत्येक माह जनरेट होगा। यह एक अपरिवर्ती विवरण है और इसे एक माह में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मासिक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई जावक आपूर्तियों का विवरण (अर्थात् भारतीय रेल की आवक आपूर्तियों के विवरण) दर्शाया जाएगा, जो पिछले माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के तुरंत बाद के दिन से उस माह अर्थात् उस माह की 12 तारीख से आगामी माह की 11 तारीख के बीच के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की तारीख तक के होंगे। यह ध्यान दिया जाए कि ऐसा फॉर्म जीएसटीआर-2ए के अतिरिक्त होगा।

- 4. इसके अलावा, सीबीआईसी ने 15 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना सं. 78/2020-केन्द्रीय कर के तहत यह अनुबंधित किया है कि 1 अप्रैल, 2021 से सभी कर बीजकों में छह (6) अंकों वाले एचएसएन/एसएसी अनिवार्यतः विनिर्दिष्ट होंगे। यह स्मरण किया जाए कि इस समय बीजक में चार (4) अंकों वाले एचएसएन/एसएसी का उल्लेख करना अनिवार्य है। क्रिस 01 अप्रैल, 2021 से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अर्जन आवेदन समूहों में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड यथासमय 6 अंकों वाले एचएसएन कोड की सूची परिपत्रित करेगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि प्रधान रेलों सहित प्रत्येक संबंधित हितधारी ऊपर उल्लिखित नियत तारीखों और अन्य फॉर्मों से अपने आप को अवगत कराने के लिए तत्काल कार्रवाई करें ताकि इसका अनुपालन किया सके।



(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक;
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. प्रबंध निदेशक, रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली।